56/2017 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 56/2017 अनवानी प्रताप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति बावरी निवासी 13 डीओएल तहसील घड़साना बनाम 1– तहसीलदार भू राजस्व, घड़साना 2–जगजीतसिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति बावरी निवासी 13 डीओएल तहसील घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.07.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री बंसीलाल बिश्नोई उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री बंसीलाल बिश्नोई का कथन है कि तहसीलदार, घड़साना के समक्ष एक वसीयत प्रकरण सं0 8/17 साक्ष्य के लिए लंबित है और इस प्रकरण में वसीयत के आधार पर जगजीतसिंह अप्रार्थी अपने नाम से ईन्तकाल दर्ज करवाना चाहता है जबकि उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में एक वाद प्रकरण संख्या 54/2017 अनवानी नसीबकौर बनाम प्रीतो खातेदारी अधिकारो की घोषणा स्थाई व्यादेश तथा बंटवारे का पेश कर रखा है और इसमें धारा 212 आरटीए के तहत स्थगन आदेश भी है और मूल प्रकरण में जगजीत सिंह की तलवी हेतु नियत है। उनका आगे कथन है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, घड़साना के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए आप को वसीयत का ईन्तकाल दर्ज करने का कोई अधिकार नही है। इसके बावजूद भी तहसीलदार, घड़ाना ने कहा कि वसीयत के आधार पर ईन्तकाल दर्ज होगा, दावा से कोई फर्क नही पड़ता है। इसलिए प्रार्थी को तहसीलदार, घड़साना से न्याय मिलने की संभावना नही है। इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए स्वीकार किया जावे और तहसीलदार, घड़साना को वसीयत प्रकरण सं0 8/17 में कार्यवाही करने से रोका जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं मुन्तकिली प्रा0 पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि जगजीत सिंह अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अपने पिता गुरदयाल सिंह की मृत्यु होने के कारण विवादित भूमि स्वअर्जित होने से उसने वसीयत दिनांक 28.10.15 के आधार पर विवादग्रस्त भूमि का ईन्तकाल अपने नाम करवाने के लिए प्रा0 पत्र दिनांक 22.02.17 तहसीलदार घड़साना को पेश किया है जिस पर उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है और विवादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद सं0 54/17 उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष लंबित होना बताया है और कथन किया कि वाद प्रकरण में 212 आरटीए के प्रा0 पत्र में स्थगन आदेश होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। प्रा0 पत्र में उक्त आधार के अलावा पीठासीन अधिकारी पर अन्य कोई आरोप नही है कि वह किसी के दबाब/प्रभाव में आकर कोई कार्यवाही कर रहे है। कोई भी पीठासीन अधिकारी अपने समक्ष लंबित प्रकरण में निर्णय करने के लिए सक्षम है। अगर तहसीलदार, घड़साना द्वारा की गई कोई कार्यवाही या कोई किया गया आदेश प्रार्थी विधिसम्मत नही मानता है तो उसके लिए प्रार्थी सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी करने के लिए स्वतन्त्र है। इसलिए मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

A3/2

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1481
19/07/2017

यह आदेश आज दिनांक 11.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर